47

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-2108-तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-12-2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक-4/अपील/2001-02

.....

श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री राजकिशोर द्विवेदी

निवासी- जिला अस्पताल के सामने शहडोल

तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल(म0प्र0)

-----आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती राजबेटी पत्नी भूपाल सिंह

निवासी-पुलिस लाइन शहडोल, तहसील सोहागपुर

जिला-श हडोल (म0प्र0) हाल मुकाम सिंगरौली

जिला-सीधी(म0प्र0)

-----अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा न्यायालय तहसीलदार सोहागपुर के समक्ष भूमि खसरा नं0 189 रकबा 0.09, खसरा नं0 1790 रकबा 0.25 एकड़, खसरा नं0 1791/2 रकबा 0.091/2 खसरा नं0 1820 रकबा 0.05 एकड़ का इन्द्राज अपने नाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.08.98 से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कि गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने 29.08.2001 से अपील स्वीकार कर प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अपील/2001-02 पर पारित आदेश दिनांक 20.12.2005 से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को प्रावधानों के विपरीत मानते हुये निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के इसी आदेश

के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदिका सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया । इस प्रकरण में मुखय विचारणीय बिन्दु यह है कि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत नाम इन्द्राज किया जा सकता है अथवा नहीं । आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 115 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर नाम इन्द्राज करने का निवेदन किया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा ने पूर्ण विचारोपरांत निरस्त किया गया है। संहिता की धारा 115 में तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेखों में की गई गलत प्रविष्टी को स्वतः शुद्ध करने का प्रावधान है। आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि विपरीत था और तहसीलदार द्वारा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2005 विधिनुकूल एवं न्यायासंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश ,
ग्वालियर,